

फरवरी-मार्च, 2005 सत्र

विधेयक क्रमांक	विधेयक का नाम	विभाग का नाम	पुरःस्थापन का दिनांक	विचार एवं पारण का दिनांक
1.	छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2005 (क्रमांक 1 सन् 2005)	वित्त	24 फरवरी	24 फरवरी
2.	भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005)	वाणिज्यिक कर	4 मार्च	23 मार्च
3.	छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005)	वित्त	21 मार्च	22 मार्च
4.	छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर विधेयक, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005)	राजस्व	21 मार्च	23 मार्च
5.	छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 5 सन् 2005)	राजस्व	23 मार्च	24 मार्च
6.	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005)	कृषि	23 मार्च	24 मार्च, 05 को प्रवर समिति को सौंपा गया
(प्रवर समिति का प्रतिवेदन दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 को सदन में प्रस्तुत हुआ तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 को पारित हुआ)				
7.	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005)	संसदीय कार्य	23 मार्च	24 मार्च

जुलाई, 2005 सत्र

विधेयक क्रमांक	विधेयक का नाम	विभाग का नाम	पुरःस्थापन का दिनांक	विचार एवं पारण का दिनांक
08.	छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 8 सन् 2005)	विधि	14 जुलाई	15 जुलाई
09.	छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2005 (क्रमांक 9 सन् 2005)	महिला एवं बाल विकास	18 जुलाई	19 जुलाई
10.	छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक 2005 (क्रमांक 10 सन् 2005)	वित्त	14 जुलाई	19 जुलाई

11.	छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 11 सन् 2005)	नगरीय प्रशासन	14 जुलाई	18 जुलाई
12.	छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 12 सन् 2005)	नगरीय प्रशासन	14 जुलाई	18 जुलाई
13.	छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005)	उच्च शिक्षा	19 जुलाई	20 जुलाई
14.	इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2005)	उच्च शिक्षा	19 जुलाई	20 जुलाई
15.	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 15 सन् 2005)	उच्च शिक्षा	19 जुलाई	21 जुलाई
16.	छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005)	वित्त	14 जुलाई	14 जुलाई
17.	छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 17 सन् 2005)	उच्च शिक्षा	21 जुलाई	22 जुलाई

दिसम्बर, 2005 सत्र

विधेयक क्रमांक	विधेयक का नाम	विभाग का नाम	पुरःस्थापन का दिनांक	विचार एवं पारण का दिनांक
18.	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005)	राजस्व	19 दिसम्बर	20 दिसम्बर
19.	छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 19 सन् 2005)	राजस्व	19 दिसम्बर	20 दिसम्बर
20.	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 20 सन् 2005)	वाणिज्यिक कर	19 दिसम्बर	20 दिसम्बर
21.	छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 21 सन् 2005)	जल संसाधन	21 दिसम्बर	23 दिसम्बर

	2005)			
22.	दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005)	विधि	21 दिसम्बर	23 दिसम्बर
23.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 23 सन् 2005)	वाणिज्यिक कर	21 दिसम्बर	23 दिसम्बर
24.	छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005)	नगरीय प्रशासन	20 दिसम्बर	21 दिसम्बर
25.	छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 25 सन् 2005)	नगरीय प्रशासन	20 दिसम्बर	21 दिसम्बर
26.	छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2005 (क्रमांक 26 सन् 2005)	वित्त	20 दिसम्बर	20 दिसम्बर
27.	छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा विधेयक, 2005 (क्रमांक 27 सन् 2005)	गृह	21 दिसम्बर	23 दिसम्बर
28.	छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005)	वित्त	23 दिसम्बर	23 दिसम्बर
29.	छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 29 सन् 2005)	विधि	23 दिसम्बर	23 दिसम्बर
30.	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 30 सन् 2005)	संसदीय कार्य	23 दिसम्बर	23 दिसम्बर

वर्ष 2005

में पारित नये विधेयकों की संख्या (मूल)	10
में संशोधित विधेयकों की संख्या	20
वापस लिये गये विधेयक	--
कुल पारित विधेयकों की संख्या	30

* छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005) दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को पुरःस्थापित हुआ तथा दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को पारित हुआ। दिनांक 13 जुलाई, 2012 को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा माननीय राष्ट्रपति के निर्देश दिनांक 28 अप्रैल, 2008 के तारतम्य में पुनर्विचार हेतु लौटाया गया, जिसकी सूचना सदन को दिनांक 16 जुलाई, 2012 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई तथा दिनांक 18 जुलाई,

2012 को सदन द्वारा पुनर्विचार कर यथापारित स्वरूप में पुनःपारित किया।